

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

धर्मेन्द्र सिंह,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी)/दरभंगा/सीतामढ़ी।

पटना, दिनांक-

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-2230011140102) के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 8861 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध आवंटन CFMS Software से किया जा रहा है। CFMS Software में Text Entry की व्यवस्था नहीं रहने के कारण राज्य योजना अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-2230011140102) के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 8861 में राशि किस मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित हेतु आवंटित की गयी है का उल्लेख संभव नहीं है।

1. CFMS Order No.- 8861 से आवंटित की गयी राशि को निम्नलिखित मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित हेतु निकासी करते हुये निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

i) मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित को भुगतान के लिए अनुदान की राशि ₹ 1,00,000/-के भुगतान हेतु -

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	CFMS Order No.- 8861 से आवंटित राशि	CFMS Order No.- 8861 से राशि निम्नलिखित मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित के भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।
1	2	3	4	5	6
1	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	02	0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	200000/- (दो लाख)	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक-970 दिनांक- 25.11.19 के आलोक में(1)मृतक-स्व0 संजीत कुमार, आश्रित-सुरेश भगत (पिता), ग्रा0-बथना, पो0+थाना-मेहसी,अंचल-मेहसी, जिला-पूर्वी चम्पारण एवं जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक- 971 दिनांक- 25.11.19 के आलोक में (2) मृतक-स्व0 संजय कुमार सिंह,आश्रित-शोभा देवी (पत्नी),ग्रा0-मनीछपरा, पो0-मेहसी, प्रखंड- कल्याणपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण।

2.	दरभंगा	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	मृतक-मो0 इकलाख, आश्रित शाहनाज बेगम (पत्नी), ग्राम-बहुआरा, पंचायत- हरिहरपुर, प्रखंड-सिंघवाड़ा, थाना-कमतौल, जिला-दरभंगा।
3.	सीतामढ़ी	04	तदैव	400000/- (चार लाख)	(1) मृतक-मो0 दुलारे, पिता-मो0 आलमगीर राईन,, आश्रित खुशनुदा खातुन (पत्नी), ग्रा0-बुधनगरा,थाना-नानपुर,जिला-सीतामढ़ी, बिहार। (2)मृतक-मो0 अब्बास नदाफ, पिता-मो0जैनुल हक, आश्रित-अंगुरी खातुन (पत्नी),ग्रा0-बुधनगरा,प्रखंड- बोखरा, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी, बिहार।(3) मृतक-मो0 गुलाब रैन, पिता-मो0 इस्लाम रैन, आश्रित-जुबैदा खातुन(पत्नी), ग्रा0-बुधनगरा, थाना-नानपुर,जिला-सीतामढ़ी, बिहार। (4) मृतक-मो0 अनातुल्लाह,पिता- नेशारूल हक, आश्रित-नेशारूल हक(पिता), ग्रा0-बुधनगरा, थाना-नानपुर, जिला- सीतामढ़ी, बिहार।
	कुल	07		7,00,000 /-	

ii) पूर्ण निःशक्त के लिए अनुदान की राशि ₹ 75,000/-के भुगतान हेतु -

क्र. सं.	जिला का नाम	पूर्ण निःशक्त प्रवासी मजदूर की संख्या	विषयशीर्ष	CFMS Order No.- 8861 से आवंटित राशि	CFMS Order No.- 8861 से राशि निम्नलिखित पूर्ण निःशक्त प्रवासी मजदूर को भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।
1	2	3	4	5	6
01	सीतामढ़ी	01	0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	75000/- (पचहत्तर हजार)	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के ज्ञापांक-388 दिनांक-23.07.19 के आलोक में पूर्ण निःशक्त-कृष्ण कुमार, आश्रित कृष्ण कुमार स्वयं ग्रा0-इनामात, पो0-बनौल, प्रखंड- बोखड़ा, जिला-सीतामढ़ी।

CFMS Order No.- 8861 से कुल आवंटित राशि ₹ 7,75,000/- (₹ सात लाख पचहत्तर हजार) मात्र ।

2. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1907 दिनांक-03.05.19 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 में "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि ₹ 1,00,000/- (₹ एक लाख) मात्र प्रति मृतक प्रवासी श्रमिक को की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु एवं पूर्ण निःशक्त प्रवासी श्रमिक को अनुदान की राशि ₹ 75,000/- (₹ पचहत्तर हजार) मात्र स्वयं पूर्ण निःशक्त प्रवासी श्रमिक को भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।

3. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल करके भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

①

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि0 दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि0 दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
5. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
6. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अविलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
7. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
8. आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं मृतक/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को उपलब्ध कराया जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो।
9. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

श्रमायुक्त, बिहार।


ज्ञापांक: 6/एफ1-307/19 श्र0सं0-

243

पटना, दिनांक 21-1-2020

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक /आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/संयुक्त श्रमायुक्त-1 एवं प्रशाखा-01 को गै.सं.प्रे.सं.-407 (श्रम पक्ष) दिनांक-18.12.19, गै.सं.प्रे.सं.-384 (श्रम पक्ष) दिनांक-06.12.19, गै.सं.प्रे.सं.-400 (श्रम पक्ष) दिनांक-12.12.19 एवं गै.सं.प्रे.सं.-242 (श्रम पक्ष), दिनांक-05.08.19 के आलोक में/ प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।


(धर्मेन्द्र सिंह)
श्रमायुक्त, बिहार